न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 111/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– हरचंदराम पुत्र फुलाराम 2– रामप्रसाद पुत्र जालाराम 3– सोमाराम पुत्र जालाराम 4– हरचंद पुत्र फुलाराम 5– हरलाल पुत्र फुलाराम 6– बागाराम पुत्र फुलाराम 7– सुखाराम पुत्र छोगाराम 8– बुधाराम पुत्र भीखाराम 9– रामलाल पुत्र मंगलाराम 10–किशनाराम पुत्र फुलाराम 11–सुखराम पुत्र धोकलराम 12–रामचन्द्र पुत्र चोखाराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण चैनसागर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र न्यायिक/2018/.... अनवान तहसीलदार लोहावट बनाम रामप्रसाद वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या 145/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– चौखाराम पुत्र मंगलाराम 2– रामलाल पुत्र मंगलाराम 3– नेताराम पुत्र फगलुराम 4– गोपालराम पुत्र भाकराराम जाति विश्नोई निवासीगण चेनसागर पल्ली, तहसील लोहावट जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–2018 जो आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/505–508 उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से (अपील सं0 111/2019 मे)।
2– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट (अपील संख्या 145/2019 मे) ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 30–10–2019

उक्त दोनो अपीलो का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये अभियान जिसमे ऐसे रास्ते जो मौके पर कदीमी से चले आ रहे है तथा आमजन उनका रास्ते के रूप मे उपयोग करते आ

रहे है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे रास्ता के रूप मे इन्द्राज नही किया हुआ है ऐसे रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु चलाये गये अभियान मे पारित दिशा निर्देशो के क्रम मे तहसीलदार लोहावट ने अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष ग्राम चैनसागर एवं जेरिया के खसरा नंबरान क्रमशः 1, 2, 7, 8, 8/1, 6, 6/1, 6/2, 9, 9/1, 10, 10/1, 5/2, 13, 11 व 12 मे चल रहे कदीमी रास्ते जिनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने उनके आदेश आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/505–508 दिनांक 3–7–2018 के द्वारा प्रस्ताव मे अंकित अनुसार कुल रकबा 11.10 बीघा की किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तन करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस मे दुरस्ती के आदेश पारित किये गये एवं निजी खातेदारी की भूमि का जो रकबा रास्ता के रूप मे घोषित किया गया है उक्त रकबा काश्तकार की खातेदारी मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश के विरूद्ध उक्त दो अपीले इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है । उक्त अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांटगण के अधिवक्ताओ ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लोहावट के प्रस्ताव मे वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारान को बिना कोई नोटिस जारी किये तथा उन्हे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि की भूमि मे से रास्ता दर्ज करने का जो आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई अधिकार नही है कि किसी की खातेदारी भूमि मे से किस्म परिवर्तन कर रास्ता दर्ज कर दिया जाये तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये ग्राम जेरिया एवं चेनसागर के जिन खसरा नंबरान मे से रास्ता घोषित करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, इन खसरो मे मौके पर कदीमी रास्ता कभी नही रहा तथा न ही कोई ग्रेवल सडक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाये केवल तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि किसी भी खातेदारी की भूमि मे से रास्ता देने का प्रावधान केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 व 251ए मे ही है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे खातेदारी की भूमि मे से रास्ता घोषित करने का कोई प्रावधान ही नही है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 के तहत अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि मे से रास्ता घोषित करने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांटगण ने उक्त दोनो अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/505–508 दिनांक 3–7–18 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपाखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–7–18 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रास्तो संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान मे पारित दिशा निर्देशो के क्रम मे तहसीलदार लोहावट ने ग्राम चैनसागर एवं जेरिया मे कदीमी से चले रहे रास्ते जिनका उपयोग व उपभोग ग्रामीणो द्वारा किया जा रहा है परंतु उन रास्तो को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे अंकन नही है जिनका राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता के रूप मे अंकन करने का प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्ताव अनुसार जो अपीलाधीन पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

होने से अपीलांटगण की उक्त अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात यथा तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत ग्राम चेनसागर एवं ग्राम जेरिया पटवार मण्डल पल्ली के रास्ते संबंधी प्रस्ताव तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/505–508 दिनांक 3–7–18 आदि का भी गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट द्वारा रास्तो की समस्याओं के निराकरण बाबत प्रेषित प्रस्ताव जिनमे निजी खातेदारो की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से रास्ते चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही होने का उल्लेख होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तावित रास्ते की भूमि के खातेदारान को किसी प्रकार का नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही होता है, इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–7–2018 बिना खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/505–508 दिनांक 3–7–18 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वर्तमान अपील के अपीलांटगण एवं अन्य हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा मौके की स्थिति की जानकारी रेकर्ड पर ली जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर